रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 569] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 24, 2008/कार्तिक 2, 1930

No. 569] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2008/KARTIKA 2, 1930

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2008

सा.का.नि. 752(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में और संशोधन करके, संलग्नक पृष्ठ से 1.0 मीटर तक 75 डेसीबल (ए) पर अधिकतम अनुज्ञेय ध्वनि दबाव स्तर सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माण प्रक्रम पर ध्वनिक संलग्नक उपलब्ध कराने के लिए 1 जनवरी, 2005 को या उसके पश्चात् विनिर्मित डीजल से चलने वाले जेनरेटर सेटों के लिए शोर सीमाएं निर्धारित की हैं;

और केन्द्रीय सरकार को विभिन्न विनिर्माताओं और उनके संगमों से लघु सेक्टर में डीजल जेनरेटर सेटों के संयोजनकर्ताओं द्वारा सामना की जा रही विभिन्न परेशानियों, अर्थात् विनिर्माताओं और डी जी सेटों की परिवहन की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए कतिपय संशोधनों के लिए निवेदन करते हुए, अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

और केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (29 का 1986) की धारा 3 की उप धारा (2) के खंड (iii) और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारुप नियमों को, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी सा.का.नि. 704 (अ) तारीख 12 नवम्बर, 2007 के द्वारा प्रकाशित किया गया था, तथा सूचना दी गई थी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त नियम प्रारुप पर उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 26 नवम्बर, 2007 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उपरोक्त प्रारुप अधिसूचना के जवाब में प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रुप से विचार किया गया है ;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) आठवां संशोधन नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची -1 में, -

(क) ' डीजल से चलने वाले जेनरेटर सेटों के लिए शोर सीमा' से संबंधित क्रम सं. 94 के पैरा 3.2 में,-

(i) 'प्रत्येक विनिर्माता या आयातक (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्रदायकर्ता'' कहा गया है)' शब्दों के स्थान पर ''प्रत्येक विनिर्माता या संयोजनकर्ता या आयातक'' (जिसे इसमें इसके पश्चात् '' विनिर्माता '') कहा गया है, शब्द, रखे जाएंगे ;

(ii) 'विनिर्मित या आयातित' शब्दों के स्थान पर 'विनिर्मित या संयोजित या आयातित' शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) पैरा 3.4 में, मद (i) और पद (ii)(क) में, "प्रदायकर्ता" शब्द के स्थान पर, "विनिर्माता" शब्द रखा जायेगा ;

(ग) पैरा 4.0, में, मद (i) में, "प्रदायकर्ता" शब्द के स्थान पर, "विनिर्माता" शब्द रखा जायेगा ;

(घ) पैरा 5.0 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"6.0 डीज़ल जेनरेटर सेटों (250 KVA से अधिक) का परिवहन

(i) डीजल जेनरेटर सेट का परिवहन पैरा 3.2 में विनिर्दिष्ट डीजल जेनरेटर सेट को ध्वनिक संलग्नक अथवा पृथक किए गए पुर्जों सहित, फिर ध्वनिक संलग्नक पर विनिर्दिष्ट सुसंगत जेनरेटर सेट संख्या और उसके प्रचालन स्थल पर कल पुर्जों

IndiaCode

को फिर से जोड़ने के लिए साइलेंसर सहित पूर्ण इकाई के रूप में प्रमाणीकरण की अपेक्षा को पूरा करने के पश्चात् ही किया जाएगा ।

(ii) शोर संबंधी मानदंडों के अनुपालन की निगरानी यथास्थिति संबंधित राज्य प्रदूषण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा प्रतिष्ठापन के अवस्थान पर जेनरेटर सेट का संयोजन करने के पश्चात् की जाएगी ।"

[फा. सं. क्यू-15022/2/2001-सीपीए]
रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पणी.— मूल नियम, भारत के राजपत्र में का.आ. 844(अ), तारीख, 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का.आ. 433(अ), तारीख, 18 अप्रैल, 1987, का.आ. 64(अ), तारीख, 18 जनवरी, 1988, का.आ. 3(अ), तारीख, 3 जनवरी, 1989, का.आ. 190(अ), तारीख 15 मार्च, 1989, सा.का.नि. 913(अ) तारीख 24 अक्तूबर, 1989, का.आ. 12(अ) तारीख 8 जनवरी, 1990, सा.का.नि. 742(अ) तारीख, 30 अगस्त, 1990, का.आ. 23(अ), तारीख 16 जनवरी, 1991, सा.का.नि. 93(अ) तारीख 21 फरवरी, 1991, सा.का.नि. 95(अ), तारीख, 12 फरवरी, 1992, सा.का.नि. 329(अ) तारीख, 13 मार्च, 1992, सा.का.नि. 475(अ), तारीख, 5 मई, 1992, सा.का.नि. 797(अ) तारीख, 1 अक्तूबर, 1992, सा.का.नि. 386(अ), तारीख, 28 अप्रैल, 1993, सा.का.नि. 422(अ) तारीख, 19 मई, 1993, सा.का.नि. 801(अ), तारीख, 31 दिसम्बर, 1993, सा.का.नि., 176(अ) तारीख, 3 अप्रैल, 1996, सा.का.नि. 631(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 1997, सा.का.नि. 504(अ) तारीख, 20 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 7(अ), तारीख 2 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 682(अ), तारीख, 5 अक्तूबर, 1999, सा.का.नि. 742(अ), तारीख, 25 सितम्बर, 2000, सा.का.नि. 72(अ), तारीख, 6 फरवरी, 2001, सा.का.नि. 54(अ), तारीख, 22 जनवरी, 2002, सा.का.नि. 371(अ), तारीख, 17 मई, 2002, सा.का.नि. 489(अ), तारीख 9 जुलाई, 2002, का.आ. 1088(अ) तारीख 11 अक्तूबर, 2002 और सा.का.नि. 849(अ), तारीख, 30 दिसम्बर, 2002, सा.का.नि. 520(अ), तारीख, 1 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 92(अ), तारीख, 29 जनवरी, 2004, सा.का.नि. 448(अ), तारीख, 12 जुलाई, 2004, शुद्धिपत्र सा.का.नि. 520(अ), तारीख, 12 अगस्त, 2004, सा.का.नि. 272(अ), तारीख, 5 मई, 2005, सा.का.नि. 315(अ), तारीख, 16 मई, 2005, सा.का.नि. 546(अ), तारीख 30 अगस्त, 2005, सा.का.नि. 46 (अ), तारीख 3 फरवरी, 2006, सा.का.नि. 464 (अ), तारीख 7 अगस्त 2006, सा.का.नि. 566(अ), तारीख, 29 अगस्त, 2007,और सा.का.नि. 704(अ) तारीख, 12 नवम्बर, 2007 सा.का.नि. 186(अ), तारीख 18 मार्च, 2008, सा.का.नि. 280(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2008, सा.का.नि. 344 (अ), तारीख 7 मई, 2008, सा.का.नि. 414(अ), तारीख 30 मई, 2008, सा.का.नि. 481(अ), तारीख, 26 जून, 2008, सा.का.नि. 579(अ), तारीख 6 अगस्त, 2008 तथा सा.का.नि. 600 (अ), तारीख 18 अगस्त, 2008 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS.

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2008

G.S.R. 752(E).—WHEREAS, the Central Government has fixed noise limits for generator sets run with diesel manufactured on or after the 1st January, 2005 to provide acoustic enclosure at manufacturing stage to ensure maximum permissible sound pressure level at 75 dB(A) at 1.0 metre from the enclosure surface, by making further amendments in the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS, the Central Government has received representations from various Manufacturers and their Associations requesting for certain amendments in view of the various difficulties faced by the assemblers of DG Sets in small scale sector i.e. definition of manufacturer and the transportation of DG sets;

AND WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (2) of section 3 and section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, published the draft rules in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R. 704 (E), dated 12th November, 2007 for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice was given that the said draft rules would be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification were made available to the public;

AND WHEREAS, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 26th November, 2007;

AND WHEREAS, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Eighth Amendment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I,-

(a) in serial number 94 relating to 'NOISE LIMIT FOR GENERATOR SETS RUN WITH DIESEL', in paragraph 3.2,-

(i) for the words 'Every manufacturer or importer (hereinafter referred to as "supplier")', the words 'Every manufacturer or assembler or importer (hereinafter referred to as the "manufacturer")' shall be substituted;

(ii) for the words 'manufactured or imported', the words 'manufactured or assembled or imported' shall be substituted;

(b) in paragraph 3.4, in item (i) and item (ii) (a), for the word "supplier", the word "manufacturer" shall be substituted;

(c) in paragraph 4.0, in item (i), for the word "supplier", the word "manufacturer" shall be substituted;

(d) after paragraph 5.0, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"6.0 Transportation of Diesel Generator Sets (above 250 KVA)

(i) Diesel Generator set shall be transported after fulfilling the requirement of certification specified in paragraph 3.2 as a complete unit with acoustic enclosure, or dismantled, with relevant genset number specified on acoustic enclosure and silencer for reassembling at the site of its operation.

(ii) Compliance with the noise norms shall be monitored after reassembling the D.G. set at the location of the installation by the concerned State Pollution Control Board or, as the case may be, the Union Territory Pollution Control Committee." ;

[F. No. Q-15022/2/2001-CPA]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

4121 GI/08-2

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844 (E) 19th November, 1986 and subsequently amended vide S.O. 433 (E) dated 18th April, 1987, S.O. 64 (E) dated 18th January, 1988, S.O. 3 (E) dated 3rd January, 1989, S.O. 190 (E) dated 15th March, 1989, G.S.R. 913 (E) dated the 24th October, 1989, S.O. 12 (E) dated the 8th January, 1990, G.S.R. 742 (E) dated the 30th August, 1990, S.O. 23 (E) dated the 16th January, 1991, G.S.R. 93 (E) dated the 21st February, 1991 G.S.R. 95 (E) dated the 12th February, 1992, G.S.R. 329 (E) dated the 13th March, 1992, G.S.R. 475 (E) dated the 5th May, 1992 G.S.R. 797 (E) dated the 1st October, 1992, G.S.R. 386 (E) dated the 28th April, 1993, g.s.r. 422 (e) dated the 19TH May, 1993, G.S.R. 801 (E) dated the 31st December, 1993, G.S.R. 176 (E) dated the 3rd April, 1996, G.S.R. 631 (E) dated the 31st October, 1997, G.S.R. 504 (E) dated the 20th August, 1998, G.S.R. 7 (E) dated the 2nd January, 1999, G.S.R. 682 (E) dated the 5th October, 1999, G.S.R. 742 (E) dated the 25th September, 2000, G.S.R. 72 (E) dated the 6th February, 2001, G.S.R. 54 (E) dated the 22nd January, 2002, G.S.R. 371 (E) dated the 17th May, 2002, G.S.R. 489 (E) dated the 9th July, 2002, S.O. 1088 (E) dated the 11th October, 2002 and G.S.R. 849 (E) dated the 30th December, 2002, G.S.R. 520 (E) dated 1st July, 2003, G.S.R. 92 (E) dated 29th January, 2004, G.S.R. 448 (E) dated 12th July, 2004, Corrigenda G.S.R. 520 (E) dated 12th August, 2004, G.S.R. 272 (E) dated 5th May, 2005, G.S.R. 315 (E) dated 16th May, 2005, G.S.R. 546 (E) dated 30th August, 2005, G.S.R. 46 (E) dated 3rd February, 2006, G.S.R. 464 (E) dated 7th August, 2006 and G.S.R. 566 (E) dated 29th August, 2007 and G.S.R. 704 (E) dated 12th November, 2007, G.S.R. 186 (E) dated 18th March, 2008, G.S.R. 280 (E) dated 11th April, 2008, G.S.R. 344 (E) dated 7th May, 2008, G.S.R. 414 (E) dated 30th May, 2008, G.S.R. 481 (E) dated 26th June, 2008 G.S.R 579(E) dated 06th August 2008 and G.S.R. 600(E) dated 18th August 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054